संख्या 74 /XVII(4)/2012/64/2009

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0 एस0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सश0 एवं बा0 वि0 विभाग, देहरादूनः दिनांक 23 अप्रैल 2012

विषयः—उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग के पदों की निरन्तरता बढाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 252 / XVII(4)/2009 दिनांक 10.02.2011 के क्रम में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 2207 / स्था / रा0 / म0 / आ0 / 11—12 दिनांक 24.12.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग में कार्य एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु निम्न विवरणानुसार कुल 08 अस्थाई पदों की निरन्तरता दिनांक 01 मार्च 2012 से 28 फरवरी 2013 तक विस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है बशर्ते ये पद इससे पूर्व समाप्त न कर दिये जायः—

क्र.सं.	पदनाम	संख्या	वेतनमान (रू0में)
1	सदस्य सचिव	01 पद	8000—13500(प्रतिनियुक्ति पर)
2	विधि अधिकारी	01 पद	15000 प्रतिमाह (पूर्व से स्वीकृत) संविदा के आधार पर
3	परामर्शदाता	01 पद	15000 प्रतिमाह (पूर्व से स्वीकृत) संविदा के आधार पर
4	सहायक लेखाकार	01 पद	4500—7000 (अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर)
5	कनिष्ठ सहायक	01 पद	6000 (प्रतिमाह संविदा के आधार पर)
6	आशुलिपिक कम डाटा इन्ट्री आपरेटर	01 पद	6000 (प्रतिमाह संविदा के आधार पर)
7	अनुसेवक	02 पद	4000 (प्रतिमाह संविदा के आधार पर)

2— संविदा पर आधारित पदों पर नियुक्ति संविदा कर्मी को / Break of one day every 89 days अनिवार्य होगा।

3— उक्त सेवाओं हेतु कोई भी दावा किसी मा0 न्यायालय के अधीन नहीं किया जायेगा ।

4— उक्त पदों में अन्य सेवा शर्ते एवं नियम पूर्व में निर्गत तदसम्बन्धी शासनादेशों के आधार पर लागू समझी जायेगी।

5— उक्त अस्थयी पदो पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012—13 के आय—व्यय के संगत लेखाशीर्षक / मदों से वहन किया जायेगा।

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्या   /**XVII(4)/2011/64/09**एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड़ माजरा देहरादून।
2. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग देहरादून।
3. सचिव,, उत्तराखण्ड राज्य महिला आयोग देहरादून।
4. जिलाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव